

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजरथान सरकार

बहक

श्री हरकरण

जरिये पटवार हल्का रापरवाड़ा

पुत्र श्री बिरमाराम

जाति जाट नि निम्बोला

मुकदमा नं. 27 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम निम्बोला खसरा नम्बर 505 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म सिवायचक (राजकीय भूमि) पर सवत 2074 में श्री हरकरण पुत्र श्री बिरमाराम जाति जाट निवासी निम्बोला (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा मकान व बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। लिखित में जवाब पेश किया। अतिक्रमण करना स्वीकार किया। जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम निम्बोला ख.न. 505 रकबा 0.0800 किस्म सिवायचक पर सवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3-प्रति हेक्टर का 50 गुणा रूपया 1.00 रूपया (रूपये एक रूपया) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का रापरवाड़ा भू. अभिलेख निरीक्षक रिड्ड एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास  
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)